मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25/08/2008

//आदेश//

क्रमांक–एफ 27–4/20–2/2008 राज्य शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांक एफ 27–4/2008/20–2 दिनांक 08/08/08 से प्रदेश के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्रावासी सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थियों के लिए **सुदामा शिष्यवृत्ति योजना** लागू करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का स्वरूप इस प्रकार रहेगा :–

हितग्राही, दर, आयसीमा :–

स.क.	हितग्राही	दर	अभिभावक की आय	पात्रता
1	प्रदेश के जिला/विकासखण्ड मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रावास में निवास करने वाले निर्धन परिवार के ऐसे छात्र–छात्राए।	**छात्रः–** रुपये 500/– प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु **छात्राः–** रुपये 525/– प्रतिमाह कुल 10 माह हेतु	परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 54,000/– से अधिक न हो।	1. परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 54,000/–से अधिक न हो। 2. कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर वर्तमान में कक्षा 11वीं अथवा 12वीं में अध्ययनरत तथा छात्रावास में निवास करने वाले छात्र/छात्रा 3. ऐसे छात्र / छात्रा जो केन्द्र शासन / राज्य शसन की कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्राप्त न करते हों।

यदि छात्र/छात्रा को केन्द्र शासन/राज्य शासन की कोई अन्य छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्राप्त होती है, तो वे एक ही योजना के तहत् लाभ पाने के हकदार होंगे।

अन्य निर्देशः—

(1) विद्याथियों द्वारा शिष्यवृत्ति हेतु अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपनी शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाये। प्राचार्य प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण कर, पात्र छात्र/छात्राओं के सभी आवेदनों को सूची अपनी अनुशंसा एवं स्वीकृति सहित वांछित राशि का मांग–पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को वंटन दिया जावेगा।

(2) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों से प्राप्त मांग–पत्र को संकलित कर, कुल राशि की मांग संचालनालय को भेजें।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी की मांग अनुसार राशि का आवंटन संचालनालय द्वारा किया जावे तदुपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों को राशि उपलब्ध करायें।

(4) विद्यार्थियों द्वारा सादे कागज पर संलग्न अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये जिसमें सामान्य व्यक्तिगत जानकारी के साथ कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने की सत्यापित अंक सूची,, आय प्रमाण–पत्र एवं घोषणा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाये।

(5) आवेदन की अंतिम तिथि प्रतिवर्ष 31 अगस्त, 2008 निर्धारित रहेगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(एम0के0दाण्डे)
अवर सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन/ क्रमांक/विद्या/एच/03/2008/2712 भोपाल, दिनांक 25/08/2008

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

2— प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

3— प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

4— प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

5— सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।

6— सचिव, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, भोपाल।

7— आयुक्त, जन सम्पर्क मध्यप्रदेश भोपाल।

8— समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश (राजस्व)।

9— आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

10— आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।

11— आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।

12— समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

13— सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।

14— सचिव, मदरसा बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल।

15— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।

16— निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, मध्यप्रदेश भोपाल।

17— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

18— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विषयांकित छात्रवृत्ति हेतु प्राचार्यो को निर्देशित करें ताकि विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति से लाभान्वित हो सके।

19— सहायक संचालक कम्प्यूटर(स्थानीय) वेबसाईट/ई–मेले हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश